राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2370/2016

राकेश कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अति. मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. शासन सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. राकेश कुमार कौशल, मुख्य अभियंता, हाल पदस्थापित मुख्य अभियंता, आई.एम. टी.आई., कोटा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.08.2016
आदेश की दिनांक : 14.05.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 16.06.2016 (अनुलग्नक–6) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा मुख्य अभियंता के पद पर वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति प्रदान की गयी है। अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि Rajasthan Service of Engineers and Research Officers (Irrigation Branch) Rules, 1954 के अन्तर्गत मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु अधीक्षण अभिंयता के पद पर अथवा अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर 5 वर्ष के अनुभव की आवश्यकता है। प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 19.11.2015 को विज्ञप्ति जारी की, जिसमें नियमों में संशोधन करते हुए यह प्रावधान रखा गया कि अधीक्षण अभियंता के पद से मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता के पद से अपर मुख्य अभिंयता (सिविल) या अपर मुख्य अभियंता (यांत्रिक) पर पदोन्नति के लिये अनुभव की विहित कालावधि एक बार वर्ष 2015–16 के लिये पूर्णतः शिथिल की जा सकेगी। अतः उपरोक्त प्रावधान

को दृष्टिगत रखते हुए अनुभव में शतप्रतिशत शिथिलता देते हुए बिना अनुभव वाले एवं अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति प्रदान की गयी है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कथन किया गया है कि निर्धारित 5 वर्ष का कार्यानुभव केवल आरक्षित वर्ग के व्यक्ति ही रखते थे, जबकि रिक्तियां सामान्य वर्ग की थी, जबकि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के अनुसार सभी वर्गों के पदों पर पदोन्नति निर्धारित अनुपात में ही की जा सकती है। अतः राज्यसरकार की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के द्वारा मुख्य अभियन्ता की वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के लिये वांछित कार्यानुभाव (5 वर्ष) में एक बार पूर्ण शिथिलता प्रदान की गई है। इसके उपरान्त ही डीपीसी द्वारा कुल पदों पर वर्गवार निर्धारित अनुपात में पदोन्नति की गई है, जो नियमानुसार एवं सही है। राज्य सरकार प्रशासनिक आवश्यकताओं को मद्दे नजर कार्यानुभव में शिथिलन प्रदान कर सकती है। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पद की डीपीसी कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 एवं राजस्थान अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान अधिकारी (सिंचाई शाखा) नियम–1954 (मय संशोधन दिनांक 19.11.2015) के द्वारा नियमानुसार की गई है। यह भी अंकित किया गया है कि समान प्रकृति का एक अन्य प्रकरण डीबीसीडब्ल्यू 3406/2016 श्री देशराज मीणा बनाम राज्य सरकार सुनवाई हेतु लम्बित है। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णयानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. इस प्रकरण में जो अनुभव में शिथिलता प्रदान की गयी है, वह सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के आधार पर दी गयी है, जिसके आधार पर नियमों में संशोधन किया गया था। नियमों में किये गये संशोधन को इस अधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसे में नियमों में संशोधन किये जाने के उपरान्त संशोधीत नियमों के तहत की गई कार्यवाही को तब तक गलत होना नहीं माना जा सकता, जब तक नियमों में किये गये संशोधन को माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा Ultra Vires घोषित न किया गया हो। प्रत्यर्थी विभाग ने यह प्रकट किया है कि उक्त संशोधन को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय में डीबीसीडब्ल्यू 3406/2016 श्री देशराज गुर्जर बनाम राज्य सरकार लम्बित है।

5. उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए इस अपील में आदेश दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त रिट याचिका में अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 को यदि विधि विरूद्ध घोषित किया जाता है तो प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की पदोन्नति के सम्बन्ध में नये सीरे से विचार करें एवं अपीलार्थी पदोन्नति योग्य पाया जाता है तो अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जाए।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)